

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
23/2023

दायर दिनांक
01.02.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. रूपलाल पुत्र श्री डालुराम उम्र वयस्क जाति सालवी निवासी कबुतरखाने के पास गुरलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता श्री लालु बलाई जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (मृतक) डिलीट
2. गणी पुत्री श्री लालु बलाई जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. डाली पुत्री श्री लालु बलाई जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. मेता पुत्री श्री लालु बलाई जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. रतनी पुत्री श्री लालु बलाई जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रामलाल पुत्र डालुराम उम्र वयस्क जाति सालवी निवासी कबुतरखाने के पास गुरलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. घीसी पत्नी बंशी लाल उम्र वयस्क जाति माली निवासी गुरलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. नारायण पुत्र श्री छोगा उम्र वयस्क जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. उमा पुत्री किशन उम्र वयस्क जाति गुर्जर निवासी रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. भूरा पिता जता उम्र वयस्क जाति भील निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. मूला पुत्र छगना उम्र वयस्क जाति बलाई निवासी बलाई खेड़ा रामपुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव
अप्रार्थीगण 02 से लगायत 11 उपस्थित नहीं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रामपुरिया प0ह0 रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 230 की अभिलिखित आराजियात 783/588 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8, 10, 11 के विरुद्ध दिनांक 13.06.2023 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 01 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 02 से 05, 09 उपस्थित नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रामपुरिया प0ह0 रामपुरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 230 की अभिलिखित आराजियात 783/588 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपाखण्ड अधिकारी

भीलवाडा